एक नजर में

प्रतिभावान विद्यार्थियों हेतु 'प्रतिभा योजना' प्रारंभ

गुना. मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'प्रतिभा योजना' के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र विद्यार्थी एमपी टास्क विभाग के सूचना पटल (पोर्टल) के माध्यम से 20 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक पंजीयन (ऑनलाइन आवेदन) कर सकते हैं. योजना के अंतर्गत विशेष रूप से उन जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है, जिन्होंने जेईई (अभियांत्रिकी), नीट (चिकित्सा) और क्लैट (विधि) जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है. शासन द्वारा इन सफल विद्यार्थियों को 25,000 रु. से लेकर 50,000 रु.तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन आज

गुना. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम तथा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के निर्देशन में कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक दुबे के मार्गदर्शन में जिले में 'युवा संगम' कार्यक्रम का निरंतर आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में, कल दिनांक 25 फरवरी 2026 को जिला पंचायत विश्राम गृह (शुभ विदाई वाटिका), गुना में प्रात: 11:00 बजे से जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा. आकांक्षी युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) के अवसर एक ही स्थान पर उपलब्ध कराक उन्हें लाभान्वितकरना.

परिवहन नीति पर घमासान, खत्म हो जाएंगे निजी बस ऑपरेटर

2 मार्च को चक्काजाम की चेतावनी, बारात परमिट 6 प्रतिशत बढ़ाने का भी विरोध

नवभारत न्यूज

गुना 24 फर. का. मध्यप्रदेश की सड़कों पर एक बार फिर परिवहन व्यवस्था ठप होने के आसार नजर आ रहे हैं. प्रदेश सरकार द्वारा लाई जा रही नई परिवहन नीति के विरोध में प्राइवेट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है. मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित गुना में भी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लामबंद होकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

बस ऑपरेटरों ने सरकार की आगामी नीति को 'दमनकारी' करार देते हुए चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 2 मार्च 2026 से पूरे प्रदेश में निजी बसों के पहिये थम जाएंगे. यह अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्काजाम न केवल परिवहन व्यवसाय को प्रभावित करेगा, बल्कि आम यात्रियों के लिए भी बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है. बस ऑपरेटरों के विरोध का मुख्य केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया वह राजपत्र है, जिसके तहत राज्य में 'स्टेज कैरिज' बसों के संचालन की नई व्यवस्था लागू की जा रही है. एसोसिएशन का गंभीर आरोप है कि शासन जानबूझकर पुराने और स्थानीय बस ऑपरेटरों को इस व्यवसाय से बाहर करने की साजिश रच रहा है. ऑपरेटरों के अनुसार, सरकार ने प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को संभालने के लिए बाहर की 7 बड़ी निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है. नई नीति के प्रावधानों के तहत, इन बाहरी कंपनियों को नए परमिट जारी किए जाएंगे, जबकि वर्षों से मार्ग पर बसें चला रहे स्थानीय ऑपरेटरों के परमिट शून्य घोषित कर दिए जाएंगे. बस मालिकों का कहना है कि उन्होंने दशकों से इस क्षेत्र में निवेश किया है और हजारों परिवारों की आजीविका इस व्यवसाय से जुड़ी है. ऐसे में अचानक परमिट रद्द कर बड़ी कंपनियों को कमान सौंपना स्थानीय स्वरोजगार पर सीधा प्रहार है.

चार सूत्रीय मांगें और टैक्स का बढ़ता बोझ

ज्ञापन में मुख्य रूप से चार बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। ऑपरेटरों की मांग है कि वर्तमान में जो जिला और प्रदेश स्तरीय बस संचालन व्यवस्था लागू है, उसे यथावत रखा जाए। नीतिगत बदलावों के अलावा, ऑपरेटर आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार से खफा हैं। वर्तमान में अस्थाई परमिटों पर जो टैक्स बढ़ाया गया है, उसे तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। शादियों के सीजन के बीच बारात और अन्य निजी आयोजनों के लिए लिए जाने वाले विशेष परमिटों पर 6 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स थोप दिया गया है, जिसे ऑपरेटर 'अन्यायपूर्ण' बता रहे हैं। बाहरी कंपनियों के बजाय स्थानीय निवेशकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। नई नीति के राजपत्र को शून्य घोषित कर पुराने परमिटों को सुरक्षा प्रदान करना।

सरकार का तर्क :मनमानी पर लगाम और आधुनिक सेवाएं

दूसरी ओर, राज्य सरकार का पक्ष इस मामले में बिल्कुल अलग है. शासन के सूत्रों और परिवहन विभाग का तर्क है कि नई नीति आम जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है. सरकार का मानना है कि वर्तमान में निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी के कारण यात्रियों को खराब बसों, अनियमित समय और मनमाने किराए जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. सरकार का उद्देश्य राज्य परिवहन सेवा को एक नए और आधुनिक स्वरूप में पुनर्जीवित करना है. इसके लिए बड़ी कंपनियों के माध्यम से नई, सुरक्षित और जीपीएस जैसी सुविधाओं से लैस बसें सड़कों पर उतारने की योजना है. प्रशासन का कहना है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और एकाधिकार खत्म होगा. सरकार का मानना है कि नई नीति से परिवहन राजस्व में भी वृद्धि होगी और पूरे प्रदेश में बसों का एक व्यवस्थित जाल बिछाया जा सकेगा.

यात्रियों पर मंडराता संकट: यदि 2 मार्च को प्रस्तावित चक्काजाम होता है, तो इसका सीधा असर प्रदेश की करोड़ों की आबादी पर पड़ेगा. मध्यप्रदेश में एक बड़ी आबादी आवागमन के लिए निजी बसों पर निर्भर है. रेलवे की सीमित पहुँच और सरकारी बसों के अभाव में निजी बसें ही गांवों और शहरों को जोड़ने का मुख्य माध्यम हैं. अनिश्चितकालीन हड़ताल की स्थिति में छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बस एसोसिएशन ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वे अब पीछे हटने वाले नहीं हैं. यदि 1 मार्च तक सरकार ने उनकी जायज मांगों पर विचार करते हुए दमनकारी नीति वापस नहीं ली, तो प्रदेश का परिवहन तंत्र पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा.

गुना में फिल्म 'यादवजी की लव स्टोरी' का प्रखर विरोध

नवभारत न्यूज

गुना. फिल्म 'यादवजी की लव स्टोरी' को लेकर उपजा विवाद अब गुना तक पहुंच गया है. राष्ट्रीय यादव महासभा के बैनर तले समाज के पदाधिकारियों और युवाओं ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर इस फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है.

महासभा का आरोप है कि इस फिल्म के माध्यम से यादव समाज की छवि को जानबूझकर धूमिल किया जा रहा है और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

राष्ट्रीय यादव महासभा ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जातीय सामंजस्य खराब करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के माध्यम से इस फिल्म का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. अंकित भड़ाना द्वारा बनाई जा रही इस फिल्म के कथानक और प्रस्तुतीकरण को लेकर समाज में भारी रोष व्याप्त है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फिल्म के जरिए न केवल यादव समाज की मानहानि की जा रही है, बल्कि धार्मिक और जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने का भी दुस्साहस किया जा रहा है, जिससे पूरे सनातन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं. राष्ट्रीय यादव महासभा ने प्रशासन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि इस विवादित फिल्म के प्रदर्शन पर अविलंब रोक लगाई जाए.

साथ ही, फिल्म के निमार्ता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री और इससे जुड़े सभी तकनीकी सदस्यों पर तत्काल प्रभाव से कड़ी न्यायिक एवं दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया और फिल्म का निर्माण या प्रदर्शन नहीं रोका गया, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.

बीमा क्लेम में 'बहानेबाजी' करने वाली कंपनी पर जुर्माना, विधवा महिला को मिला न्याय

गुना. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, गुना ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों का हक देने का निर्देश दिया है. अध्यक्ष सुरेश कुमार चौबे एवं सदस्य शबीना अली की पीठ ने परिवादिनी के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि वैध प्रीमियम जमा होने के बावजूद महज दस्तावेजों का बहाना बनाकर दावा निरस्त करना सेवा में गंभीर कमी और उपभोक्ता के अधिकारों का हनन है. आयोग ने कंपनी को न केवल दावे की राशि, बल्कि ब्याज और मानसिक क्षतिपूर्ति समेत दंड स्वरूप अतिरिक्त राशि देने के भी कड़े निर्देश दिए हैं. यह पूरा मामला शाजापुर निवासी श्रीमती तुलसी मानकर से जुड़ा है. उनके पति स्वर्गीय अशोक मानकर ने जुलाई 2020 में एक बैंक से व्यक्तिगत ऋण लिया था, जिसकी सुरक्षा के लिए क्रेडिट शील्ड बीमा कवर भी कराया गया था. यह बीमा पॉलिसी जुलाई 2024 तक के लिए प्रभावी थी, लेकिन इसी बीच जून 2023 में अशोक मानकर का आकस्मिक निधन हो गया. पति की मृत्यु के बाद जब पत्नी ने नियमानुसार बीमा क्लेम प्रस्तुत किया, तो बीमा कंपनी ने दस्तावेजों की कमी का हवाला देते हुए उसे ठुकरा दिया था. परेशान होकर पीड़िता ने अधिवक्ता डॉ. पुष्पराग के माध्यम से उपभोक्ता आयोग की शरण ली. आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का बारीकी से परीक्षण करने के बाद पाया कि पॉलिसी पूरी तरह वैध थी और प्रीमियम भी समय पर जमा किया गया था. आयोग ने अपने आदेश में बीमा कंपनी को निर्देशित किया है कि वह परिवादिनी को 4,21,761 रुपये की बीमा राशि दो माह के भीतर अदा करे. इसके साथ ही, परिवाद पेश करने की तिथि से लेकर भुगतान होने तक इस राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा.

मानसिक प्रताड़ना के लिए 5 हजार अतिरिक्त देने होंगे

उपभोक्ता आयोग ने विधवा महिला को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए 5,000 रुपये और कानूनी खर्च के रूप में 5,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने का भी आदेश दिया है. आयोग ने यह भी साफ किया कि भुगतान की जाने वाली कुल राशि में से पहले बैंक की शेष बकाया ऋण राशि का निपटारा किया जाएगा और उसके बाद शेष बची हुई राशि परिवादिनी को सम्मानपूर्वक सौंपी जाएगी. इस फैसले ने साफ कर दिया है कि उपभोक्ता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनियों को कानून के कठघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा.

समाचार प्रकाशन के बाद भी परिषद कार्यालय के द्वार पर पसरी गंदगी

नवभारत न्यूज

कुंभराज. नगर परिषद कुंभराज के मुख्य द्वार और व्यस्त बाजार क्षेत्रों में व्याप्त गंदगी को लेकर पूर्व में समाचार प्रकाशित होने के बाद भी स्थानीय प्रशासन की निद्रा नहीं टूटी है. आलम यह है कि नगर परिषद कार्यालय के प्रवेश द्वार पर ही लगे कचरे के ढेर और बाजार में फैली दुर्गंध स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली को खुली चुनौती दे रहे हैं.

जिम्मेदार अधिकारियों की इस कथित उदासीनता और मौन रवैये के कारण आम नागरिकों का जीना दुश्वार हो गया है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब स्वच्छता की शुरूआत स्वयं परिषद कार्यालय की दहलीज से नहीं हो पा रही है, तो शेष नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से भगवान भरोसे ही प्रतीत होती है.

नगरवासियों ने प्रशासन की इस कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं. जनता का पूछना है कि क्या जनसमस्याओं पर खबरों का प्रकाशन महज एक औपचारिकता बनकर रह गया है या फिर सफाई के नाम पर आने वाला भारी-भरकम बजट केवल सरकारी फाइलों और कागजी खानापूर्ति तक ही सीमित है?

नागरिकों में इस बात को लेकर भी भारी रोष है कि लापरवाही बरतने वाले उत्तरदायी अधिकारियों पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं हुई. क्षेत्र की जनता ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही नगर की सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, तो वे आंदोलन का मार्ग अपनाने को विवश होंगे. अब यह देखना शेष है कि कुंभराज प्रशासन जनहित के इस गंभीर मुद्दे पर कब अपनी आंखें खोलता है.

स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ तैयार कर रहीं हर्बल गुलाल

नवभारत न्यूज

गुना. मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वाधान में बमोरी तहसील मुख्यालय पर होली के पर्व को लेकर विशेष तैयारियाँ शुरू हो गई हैं. मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ इस बार बाजार में रसायनों से मुक्त प्राकृतिक एवं हर्बल गुलाल उतारने की तैयारी में जुट गई हैं. समूह की दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे विभिन्न नवाचारों के अंतर्गत, फूलों से गुलाल तैयार कर उसकी आकर्षक पैकिंग की जा रही है, ताकि आमजन तक शुद्ध और सुरक्षित रंग पहुँच सकें.

परियोजना अधिकारी नीलिमा विजयवर्गीय ने इस पहल की जानकारी देते हुए बताया कि त्योहार के सीजन में लोगों को बेहतर गुणवत्ता का गुलाल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा है. यह हर्बल गुलाल न केवल त्वचा के लिए सुरक्षित है, बल्कि समूह की दीदियाँ इसे बाजार में प्रचलित दामों से कम कीमत पर उपलब्ध करा रही हैं. इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ के साथ-साथ शुद्ध उत्पाद भी प्राप्त होगा. इसी क्रम में पूनम स्व-सहायता समूह की सदस्य राधा कुशवाहा ने बताया कि इस गुलाल को बनाने में गुलाब, गेंदे और अन्य खुशबूदार फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस पहल से समूह की महिलाओं में भारी उत्साह है. तैयार किए गए गुलाल को न केवल बाजार में बेचा जाएगा, बल्कि समूह की सभी दीदियाँ भी इसी प्राकृतिक गुलाल से होली खेलकर सुरक्षित त्योहार का संदेश देंगी. प्रशासन की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं.

ढीमर मोहल्ला के नलों में आ रहा है गंदा पानी

गुना. शीतला माता मंदिर क्षेत्र के ढीमर मोहल्ला में नलों से गंदा पानी आ रहा है. इसको लेकर मंगलवार को स्थानीय रहवासियों ने जनसुनवाई में आवेदन दिया और समस्या के समाधान की मांग की है. आवेदकों में महिलाओं की संख्या अधिक रही. जिन्होंने बताया कि वे अस्वच्छ और लाल पानी की समस्या से परेशान हैं. इस संबंध में उन्होंने पंप ऑपरेटर और वार्ड पार्षद को अवगत करा दिया है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है. वार्डवासियों ने इंदौर के भागीरथपुरा की घटना का भी हवाला दिया है, जहां गंदा पानी पीने से बड़ी जनहानि हो चुकी है. रहवासियों ने उन्हें अपने वार्ड में भी इंदौर जैसी त्रासदी की आशंका है, लेकिन इसलिए जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए.

बृजमोहन साहू सर्वसम्मति से चुने गए साहू समाज के नगर अध्यक्ष

कुंभराज. नगर की साहू धर्मशाला में समाज की एक सामान्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें पिछले दो वर्षों के कार्यकाल का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के साथ ही नवीन समिति के गठन की प्रक्रिया पूर्ण की गई. बैठक में उपस्थित समाज बंधुओं ने गहन विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से बृजमोहन साहू को नगर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया. समाज के कल्याण और उत्थान के संकल्प के साथ नई कार्यकारिणी में शेषनारायण साहू को उपाध्यक्ष, हरीश साहू को सचिव और राजेंद्र साहू को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कार्यकारिणी के गठन के पश्चात समाज के वरिष्ठ जनों और युवाओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें पुष्पहार पहनाकर शुभकामनाएं प्रेषित कीं. इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज की एकता को और अधिक सुदृढ़ करने तथा धर्मशाला के विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने का विश्वास दिलाया.

पुलिस की उपलब्धि **पुलिस अधीक्षक ने असली मालिकों को लौटाए चेहरे की मुस्कान**

गुना पुलिस ने 50 लाख के 213 गुम मोबाइल बरामद

नवभारत न्यूज

गुना. एसपी अंकित सोनी के सशक्त एवं संवेदनशील नेतृत्व में जिले में आमजन की संपत्ति की सुरक्षा और सेवा की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है. पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत तकनीकी टीम ने अथक प्रयासों से प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से कुल 213 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

बरामद किए गए इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है. मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने इन मोबाइलों को उनके मूल मालिकों को सुपुर्द किया.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मान सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले भर से प्राप्त गुम मोबाइल आवेदनों पर साइबर सेल और तकनीकी टीम ने उएकफ पोर्टल के माध्यम से निरंतर कार्य किया. इस कड़ी मेहनत का सुखद परिणाम आज देखने को मिला जब एसपी अंकित सोनी ने सीएसपी प्रियंका मिश्रा, एसडीओपी विवेक अष्ठाना, दीपा डोडवे, मनोज कुमार झा और जिले के विभिन्न थाना प्रभारियों की उपस्थिति में फरियादियों को उनके खोए हुए फोन सौंपे. वर्षों और महीनों पुराने मोबाइल फोन वापस पाकर मालिकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने गुना पुलिस की तकनीकी दक्षता व सक्रियता की जमकर सराहना की. इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक युग में मोबाइल फोन केवल संचार का साधन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के निजी डेटा और व्यावसायिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. उन्होंने कहा कि पुलिस का यह प्रयास न केवल संपत्ति की बरामदगी है, बल्कि आमजन के बीच खाकी के प्रति विश्वास को और अधिक मजबूत करने की एक पहल है. एसपी ने आमजन से अपील की है कि मोबाइल गुम होने की स्थिति में तत्काल संबंधित थाने या ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना दर्ज कराएं ताकि समय रहते रिकवरी की कार्रवाई की जा सके. इस बड़े रिकवरी अभियान को सफल बनाने में साइबर सेल प्रभारी कुलदीप यादव सहित आरक्षक नीलेश रघुवंशी, भूपेंद्र खटीक, अभय रघुवंशी, नवदीप अग्रवाल और समस्त तकनीकी टीम की विशेष भूमिका रही. पुलिस की इस कार्यप्रणाली ने एक बार फिर साबित किया है कि तकनीकी कौशल और सेवा भाव के तालमेल से कठिन कार्यों को भी सुलभ बनाया जा सकता है.

जनसुनवाई में सुनीं 180 आवेदकों की समस्याएं

गुना. मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आमजन की शिकायतों और समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना. इस दौरान जिले भर से आए लगभग 180 नागरिकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए. कलेक्टर ने इन आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समस्याओं का त्वरित और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें. जनसुनवाई में मुख्य रूप से जमीन के सीमांकन, नामांतरण, बिजली बिल, पेंशन भुगतान, नगरपालिका की बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य संबंधी सहायता के मामले प्रमुखता से सामने आए. कलेक्टर कन्याल की विशेष पहल पर जनसुनवाई परिसर में ही नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और आधार सुविधाओं के विशेष स्टाल लगाए गए थे. इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 70 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए और बड़ी संख्या में लोगों का नेत्र परीक्षण एवं एचआईवी जांच सहित अन्य स्वास्थ्य परीक्षण किए गए.

अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल

गुना. म्याना थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाइवे के पास चौका-चूल्हा पेट्रोल पंप के पास मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. भूसा खाली कर लौट रहे मजदूरों की ट्रैक्टर-ट्रॉली को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

जानकारी के अनुसार, पिपरिया गांव निवासी राम सिंह भिलाला अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भदौरा में भूसा खाली करने गए थे. मंगलवार रात करीब 2 बजे, जब वे भूसा खाली कर वापस पिपरिया लौट रहे थे, तभी म्याना स्थित चौका-चूल्हा पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर असंतुलित हो गया और उस पर सवार चारों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे का शिकार हुए चारों लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं. घटना के तुरंत बाद एंबुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. दुर्घटना में मुन्ना पिता फतेह सिंह भिलाला 25 वर्ष निवासी पिपरिया ने अस्पताल लाते समय दम तोड़ दिया. जबकि राम सिंह भिलाला, किशन और जितेंद्र को जख्मी हालत में गुना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायल किशन ने बताया कि वे सभी ट्रॉली खाली करके घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ. पुलिस ने मृतक मुन्ना के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. म्याना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त छावनी तह. गुना नगर जिला गुना म0प्र0

कमांक/री-2/2025-26/629
गुना दिनांक 23/2/2026

// सार्वजनिक उद्घोषणा //

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक धर्मेन्द्र सिकरवार जिला अध्यक्ष जिला गुना भारतीय जनता पार्टी जिला गुना द्वारा कार्यालय सह आवास प.ह. न. 08 ग्राम छावनी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 204/2 रकबा 4.891 हे मेसे 0.314 हे० भूमि का कार्यालय सह आवास निर्माण हेतु आवंटन के सम्बंध में आवेदन प्राप्त हुआ है।

अतः ग्राम छावनी स्थित भूमि सर्वे कमांक 204/2 रकबा 4.891 हे0 मेसे 0.314 हे० भूमि आवंटन किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आपत्ति दिनांक 02-03-2026. न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। तक इस विज्ञप्ति आज दिनांक. 23.02.2026 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी की गई।

(नरेन्द्र सिंह यादव)
नायब तहसीलदार तहसील गुना नगर